

12<sup>2</sup>/<sub>24</sub>

प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज सुनवाई में लेने वावत निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि चक 2 एमएल के खाता संख्या 199/11 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 9/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.145 हैक्टेयर कुल 0.272 हैक्टेयर कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है तथा इस इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है। उक्त रकबे को यदि राजसात किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली का मनन किया। राजपैरोकार की रिपोर्ट एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर चक 2 एमएल के खाता संख्या 199/11 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 9/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.145 हैक्टेयर कुल 0.272 हैक्टेयर कृषि भूमि को रकबा राज घोषित किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादगत आराजी चक 2 एमएल के खाता संख्या 199/11 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 9/1 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.145 हैक्टेयर कुल 0.272 हैक्टेयर कृषि भूमि को आराजी राज दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। पत्रावली फाँसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेखगार हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

